न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) एवं सहायक कलेक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 206/2020

प्रार्थी :– बाबुलाल पुत्र नगाराम, जाति भील, निवासी बागुण्डी, तह. पचपदरा, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. शंकरलाल पुत्र मंगलाराम, जाति भील, निवासी सिंधियों की ढांणी, पचपदरा तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर
2. अमानाराम पुत्र सुरजाराम, जाति भील, निवासी रामगढ़, तहसील व जिला जैसलमेर
3. धाराराम पुत्र ईशराराम, जाति भील, निवासी बाड़मेर, तह. व जिला बाड़मेर
4. मूंगाराम पुत्र गोमाराम, जाति भील, निवासी कमालपुरा, जिला जालोर
5. राजुराम पुत्र शंकरराम, जाति भील, निवासी पचपदरा, तह. पचपदरा, जिला बाड़मेर
6. पांचाराम पुत्र लालाराम, जाति भील, निवासी मलवा, तह. गिड़ा, जिला बाड़मेर
7. सीतादेवी पत्नि बोणाराम, जाति भील, निवासी रमणिया, तह. सिवाना, जिला बाड़मेर
8. अरविंदकुमार पुत्र खेताराम, जाति भील, निवासी इन्द्रा कोलोनी, तहसील व जिला जैसलमेर (राज.)
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बाड़मेर

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 वास्ते रेकर्ड व तरमीम दुरूस्ती

उपस्थितः– करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थी
देवीसिंह महेचा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 03 व 04

दिनांकः– 12.01.2021

"आदेश"

1. प्रार्थी बाबुलाल की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम् 1956 वास्ते तरमीम दुरूस्ती व राजस्व रेकर्ड में इसी प्रकार इन्द्राज दुरूस्ती करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने आवेदन पत्र में व्यक्त किया है कि वह ग्राम सिंधियों की ढांणी, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 1686/37 रकबा 4.08 बीघा खातेदारी भुमि का सहखातेदार है। विप्रार्थी सं. 1 से 8 मौजा सिंधियों की ढांणी, तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 37 के विभाजन से बने खसरान के रेकर्डेड खातेदार होने से व विप्रार्थी सं. 9 आवश्यक पक्षकार होने से विप्रार्थीगण दर्ज किये गये है।

विवादित आराजी मूल खसरा संख्या [illegible] के [illegible]जन से बने खसरान की है, प्रार्थी खसरा संख्या 1686/37 का अभिलिखित [illegible] है जो उसे जरिये खरीद प्राप्त हुई है। मूल खसरा संख्या 37 में से राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क निकलने से विभाजित हो जाने से अलग अलग बट्टा नंबर [illegible] हुए।

लगातार 2 पर...

12/01/2021
सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:08:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मूल खसरा संख्या 37 में से राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का राजस्व रेकर्ड में अंकन त्रुटिपूर्ण किया गया। मौके पर सड़क जिस स्थान पर मौजूद है, नक्शे में तरमीम उससे भिन्न स्थान पर की गई है। जिसके कारण बट्टा नंबरों का सड़क के पूर्व और पश्चिम का पृथक पृथक रकबा भी जमाबंदी में दर्ज से न्यूनाधिक हो गया। राजस्व रेकर्ड नक्शे व जमाबंदी में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज हो जाने के कारण प्रार्थी को भुमि के विभाजन व सुधार में बाधा उत्पन्न हो गई है जिससे यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क को वर्तमान मौजूद स्थान पर राजस्व नक्शा में दर्शाते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपी एवं मौके की वास्तविक स्थिति का संशोधन हैतु प्रस्तावित मानचित्र परिशिष्ट "अ" तथा वास्तविक स्थिति अनुसार सड़क की तरमीम सही किये जाने पर मूल खसरा संख्या 37 के बट्टा नंबरों के क्षैत्रफल में होने वाले परिवर्तन का विवरण परिशिष्ट "ब" आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत किया है। मौके के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क को परिशिष्ट "अ" के नक्शे में सही प्रस्तुत किया गया है एवं इसके क्षैत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबंदी को दुरूस्त करने के आदेश करावें व तहसीलदार पचपदरा से राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबंदी को दुरूस्त कर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें।

3. आवेदन पत्र दिनांक 29.12.2020 को दर्ज कर विप्रार्थीगण के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण संख्या 02, 05, 06, 07 की ओर से प्रस्तुत जवाब में आवेदन पत्र के तथ्यों को सही होना स्वीकार कर माफिक परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबंदी को दुरूस्त करने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। इसी प्रकार विप्रार्थीगण संख्या 08 तथा 03, 04 ने अलग से जवाब प्रस्तुत किये है, जिसमें भी आवेदन पत्र में परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबंदी को दुरूस्त करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। विप्रार्थी संख्या 01 शंकरलाल भी उपस्थित हुआ तथा उसने भी अपनी कोई आपति नही होना स्वीकार करते हुए आदेशिका पर इस निमित्त अपने हस्ताक्षर/ अंगुष्ठ निशान किये। विप्रार्थी संख्या 09 की ओर से जबाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो वर्तमान रेकर्ड [illegible] की स्थिति एवं मौका अनुसार सड़क प्रस्तावित संशोधन परिशिष्ट "[illegible]" प्रस्तुत किया गया है, उसमें सड़क एवं खसरा संख्या 37 के पूर्व और पश्चिम और [illegible] सही ही है। तथा विप्रार्थी संख्या 9 की ओर से प्रार्थना पत्र को [illegible] किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:08:51 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने दोनो पक्षों के उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहन अध्ययन किया।

लगातार 3 पर....

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा
12/01/2021

Scanned with CamScanner

5. सभी पक्षकार इस तथ्य से सहमत है कि ग्राम सिंधियों की ढांणी, तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 37 में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का त्रुटिपूर्ण इन्द्राज होने से सड़क के पूर्व व पश्चिम का पृथक पृथक रकबा भी जमाबंदी में दर्ज से न्यूनाधिक हो गयाहै। सभी पक्ष इस तथ्य से भी सहमत है कि वास्तविक मौके की स्थिति अनुसार रेकर्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग की सही तरमीम करने एवं पक्षकारों के मौके पर कब्जा अनुसार न्यूनाधिक क्षैत्रफल परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" अनुसार दर्ज करने में भी उन्हे कोई आपति नहीं है। प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मौके पर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की तरमीम त्रुटिपूर्ण होने से पक्षकारों के मध्य क्षैत्रफल का अंकन न्यूनाधिक हुआ है, तथा वर्तमान वास्तविक मौका स्थिति अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा व जमाबंदी में परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाना व राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्त की जाना न्यायोचित है।

6. उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण के जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुए मौजा सिंधियों की ढांणी, तहसील पचपदरा के मूल खसरा संख्या 37 में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क की नक्शे में त्रुटिपूर्ण तरमीम होने से पत्रावली के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये वास्तविक मौका अनुसार तथा पत्रावली के संलग्न ही प्रस्तावित संशोधन परिशिष्ट "ब" अनुसार पक्षकार खातेदारों का हिस्सा व क्षैत्रफल निम्न प्रकार अभिलेख में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है :–

क्रसं.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा बीघा
01	अरविंदकुमार पुत्र खेताराम, जाति भील, निवासी इन्द्रा कोलोनी, तहसील व जिला जैसलमेर (राज.) 100 / 193 अमानाराम पुत्र सुरजाराम, जाति भील, निवासी रामगढ़, तह. व जिला जैसलमेर (राज.) 13 / 193 पांचाराम पुत्र लालाराम, जाति भील, निवासी मलवा, तहसील गिडा, जिला बाड़मेर (राज.) 40 / 193 सीतादेवी पत्नि बोणाराम, जाति भील, निवासी रमणिया, तहसील सिवाना, जिला बाड़मेर (राज) 40 / 193	1028 / 37	09.13
02	धाराराम पुत्र ईशराराम, जाति भील, निवासी बाड़मेर, तहसील व जिला बाड़मेर (राज.) हिस्सा 20 / 84 मूंगाराम पुत्र गोमाराम, जाति भील, निवासी कमालपुरा, जिला जालोर (राज.)हिस्सा 20 / 84 शंकरलाल पुत्र मंगलाराम, जाति भील, निवासी सिंधियों की ढांणी, पचपदरा तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर (राज.) हिस्सा 44 / 84	1686 / 37	04.04
03	राजूराम पुत्र शंकरराम, जाति भील, निवासी पचपदरा, तहसील पचपदरा,जिला बाड़मेर (राज.) हिस्सा 40 / 71 बाबुलाल पुत्र नगाराम, जाति भील, निवासी बागुण्डी, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर (राज.) हिस्सा 22 / 71 अमानाराम पुत्र सुरजाराम, जाति भील, निवासी रामगढ, तहसील व जिला जैसलमेर (राज.), हिस्सा 09 / 71	1687 / 37	03.11
कुल–3		3	17.08

तहसीलदार पचपदरा रेकर्ड में इसी प्रकार आवश्यक दुरुस्त करावे। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2021.02.21 15:08:51 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
एस.डी.ओ. बालोतरा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner